न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 99 / 2024

अनवान : —

1. नमीना रानी पत्नी राजेन्द्र पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. प्रिंस पुत्र राजेन्द्र पोत्र गोपीराम जाति जाट नाबालिग जरिए वली कुदरती माता नमीना रानी पत्नी राजेन्द्र निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा। प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री राजेन्द्र गोयल वादीगण
श्री मुंशीराम गोस्वामी प्रतिवादी

निर्णय

दिनांकः 20/11/24

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 एएमएस के खाता संख्या 77 / 71 के मु0न0 36 के किला नं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, की कुल 1.8960है0 नहरी 1.8210है0 व गै0मु0 रास्ता 0.0750है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी के नाम 1 / 2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 8 जेजीडब्लयू के खाता संख्या 188 / 173 के मु0न 8 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 20, 21 मु0न0 9 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25, मु0न0 16 के किला नं0 5 कुल 3.0610है0 जिसमें नहरी 2. 9360है0 व 0.125है0 गैर0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1 / 2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति—रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी सं0 2 की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी सं0 2 अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादीगण अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने के कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण संख्या 1, व प्रतिवादी संख्या 1 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया।

साक्ष्य वादी में वादीया नमीना रानी द्वारा मुख्य परीक्षा प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया व प्रस्तुत दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा 12 एएमएस के खाता संख्या 77/71 के मु0न0 36 के किला नं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, की कुल 1.8960है0 नहरी 1.8210है0 व गै0मु0 रास्ता 0.0750है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी के नाम 1 / 2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 8 जेजीडब्लयू के खाता संख्या 188 / 173 के मु0न 8 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 20, 21 मु0न0 9 के किला नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:42:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

Scanned with OKEN Scanner

15, 16, 25, मु0न0 16 के किला नं0 5 कुल 3.0610है0 जिसमें नहरी 2.9360है0 व 0.125है0 गैर0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी सं0 1 राजेन्द्र के साथ साथ वादीगण 1 व 2 का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 12 एएमएस के खाता संख्या 77/71 के मु0न0 36 के किला नं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, की कुल 1.8960है0 नहरी 1.8210है0 व गै0मु0 रास्ता 0.0750है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी राजेन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 8 जेजीडब्लयू के खाता संख्या 188/173 के मु0न 8 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 20, 21 मु0न0 9 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25, मु0न0 16 के किला नं0 5 कुल 3.0610है0 जिसमें नहरी 2.9360है0 व 0.125है0 गैर0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी राजेन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ–साथ प्रतिवादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादीगण 1 व 2 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। चूंकि वादीगण संख्या 1 नमीना रानी ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादीगण संख्या 2 प्रिंस पुत्र राजेन्द्र नाबालिग जरिए वली कुदरती माता नमीना रानी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मौजा 12 एएमएस के खाता संख्या 77/71 के मु0न0 36 के किला नं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, की कुल 1.8960है0 नहरी 1.8210है0 व गै0मु0 रास्ता 0.0750है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 8 जेजीडब्लयू के खाता संख्या 188/173 के मु0न 8 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 20, 21 मु0न0 9 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25, मु0न0 16 के किला नं0 5 कुल 3.0610है0 जिसमें नहरी 2.9360है0 व 0.125है0 गैर0मु0 रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी राजेन्द्र की बजाय वादी संख्या 2 प्रिंस पुत्र राजेन्द्र पोत्र गोपीराम जाति जाट नाबालिग जरिए वली ... नमीना रानी पत्नी राजेन्द्र निवासी निनाण तथा प्रतिवादी राजेन्द्र को बहिस्सा बराबर ... खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि वादीया सं0 1 नमीना रानी ने अपना हक हिस्सा ... सं0 2 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20/11/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व, R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:42:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 – 99/2024

अनवान : –

1. नमीना रानी पत्नी राजेन्द्र पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. प्रिंस पुत्र राजेन्द्र पोत्र गोपीराम जाति जाट नाबालिग जरिए वली कुदरती माता नमीना रानी पत्नी राजेन्द्र निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र गोपीराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

प्रतिवादी

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र गोयल व वकील प्रतिवादीगण श्री मुंशीराम गौस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 एएमएस के खाता संख्या 77/71 के मु0न0 36 के किला नं0 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, की कुल 1.8960है0 नहरी 1.8210है0 व गै0मु0 रास्ता 0.0750है0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी के नाम 1/2 हिस्सा व इसी प्रकार चक 8 जेजीडब्लयू के खाता संख्या 188/173 के मु0न 8 के किला नं0 1, 2, 9 ता 12, 20, 21 मु0न0 9 के किला नं0 5, 6, 15, 16, 25, मु0न0 16 के किला नं0 5 कुल 3.0610है0 जिसमें नहरी 2.9360है0 व 0.125है0 गैर0मु0 रास्ता खातेदारी कृषिभूमि प्रतिवादी संख्या 1 राजेन्द्र के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में तन्हा प्रतिवादी राजेन्द्र अपने की बजाय वादी संख्या 2 प्रिंस पुत्र राजेन्द्र पोत्र गोपीराम जाति जाट नाबालिग जरिए वली कुदरती माता नमीना रानी पत्नी राजेन्द्र निवासी निनाण तथा प्रतिवादी राजेन्द्र को बहिस्सा बराबर [illegible] खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि वादीया सं0 1 नमीना रानी ने अपना हक [illegible] के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार [illegible] मूल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

Kalpit

(कल्पित शिवरान)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व, R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2024.11.27 12:42:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner